



NMDC-CMDC LIMITED

(A Subsidiary of NMDC Ltd.)

Regd Off : Greens Valley City, Housing Board Colony, Boriyakala,
Sejbahar, Raipur 492015 (C.G.) Tel: 0771-2971919, Fax : 0771-2971920

CIN : U13100CT2008GOI020711

E-mail : ceonmdccmdc@gmail.com

क्रमांक – NCL/HO/Dep-4/FC/2023/1340

दिनांक – 03.07.2023

प्रति,

श्रीमान जिलाधिकारी,
जिला – दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा,
छत्तीसगढ़.

विषय :- दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु NMDC-CMDC Ltd. के “Proposal for diversion of Forest Land for Bailadila Iron Ore Deposit-4 हेतु कुल क्षेत्रफल रकबा 682.2722 हे.” में अवस्थित राजस्व वन भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत।

महोदय,

दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) द्वारा आवेदित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 4 के “Proposal for diversion of forest land हेतु क्षेत्रफल रकबा 682.2722 हे.” में अवस्थित राजस्व वन भूमि हेतु आपके अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिसका सारांश निम्नानुसार है -

क्र.	भूमि का प्रस्तावित उपयोग	ग्राम/खसरा क्रमांक	राजस्व अभिलेखों के अनुसार राजस्व वन भूमि (हे.)	टिप्पणी
1.	लोडिंग प्लांट, रेलवे साइडिंग एवं पंप हाउस	भांसी - 60 पोरोकमेली - 1, 7, 13/1 बड़ेकमेली - 508	11.127	कार्यालय कलेक्टर - दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर को कुल रकबा 12.977 हे. भूमि (11.127 हे. - बड़े झाड़ के जंगल एवं 1.85 हे. - वन अधिकार पट्टा) एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में आवंटन / अधिग्रहण हेतु आवेदित किया जा चुका है। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड के आवेदन के अनुसार कार्यालय कलेक्टर - दंतेवाड़ा ने वन विभाग को आवेदित राजस्व वन भूमि के कुल रकबा 11.127 हे. को एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में पत्र क्रमांक 2665 / रीडर-1/ भूआ. / 2022, दिनांक - 01.05.2023 के माध्यम से आवंटन हेतु निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त 1.85
2.		पोरोकमेली - 3, 9, 13/2	1.85	

प.च. नाईक

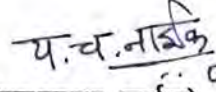
-- 03/07/23

क्र.	भूमि का प्रस्तावित उपयोग	ग्राम / खसरा क्रमांक	राजस्व अभिलेखों के अनुसार राजस्व वन भूमि (हे.)	टिप्पणी
				हे. राजस्व वन भूमि जिस पर वन अधिकार पट्टे प्रदान किये जा चुके हैं, उसके भूमि अधिग्रहण हेतु LARR Act-2013 की धारा - 4 के अंतर्गत कार्यालय कलेक्टर - दंतेवाड़ा के पत्र क्रमांक 860 / भू अर्जन / 2023, दिनांक - 26.05.2023 के माध्यम से भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।
3.	वाटर पाइप लाइन	भांसी - 88/1, 83/1/क	0.1653	प्रस्तावित राजस्व वन भूमि में पहले से ही शासन के द्वारा पक्की सड़क निर्मित है। निर्मित सड़क की सीमा के अन्दर ही एक किनारे से वाटर पाइप लाइन ले जाने हेतु केवल रास्ते का अधिकार आवश्यक है।
	कुल योग		13.1423	

अतः आप से निवेदन है कि, राजस्व वन भूमि रकबा 13.1423 हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

भवदीय


 (पद्मनाभ नाईक)
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी

03/07/23

संलग्न: प्रस्तावित अनापत्ति प्रमाण पत्र

कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड की बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप- 4 के विकास / निर्माण हेतु दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील के ग्राम भांसी के खसरा क्रमांक - 60, 88/1, 83/1/क, ग्राम पोरोकमेली के खसरा क्रमांक - 1, 3, 7, 9, 13/1, 13/2 एवं ग्राम बड़ेकमेली के खसरा क्रमांक - 508 के कुल रकबा 13.1423 हे. में चयनित राजस्व वन भूमि हेतु कोई आपत्ति नहीं है ।

कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर
दंतेवाड़ा (छ.ग.)

न्यायालय कलेक्टर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

::अनापत्ति प्रमाण पत्र::

क्रमांक 4678/रीडर-1/2022
पति

दंतेवाड़ा, दिनांक 21/07/2023

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड,
ग्रीन वेल्ली सिटी, हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
बोरियांकला, रोजबहार,
रायपुर-49215

विषय:- दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु NMDC-CMDC Ltd के Proposal for diversion of Forest land for Bailadila Iron Ore Deposit-4 हेतु कुल क्षेत्रफल रकबा 682.2722 हे. में अवस्थित राजस्व वन भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक NCL/HO/Deo-4/FC/2023/1340 दिनांक 03-07-2023

-000-

विषयानुसार आपसे प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड की बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप क्रमांक 4 के विकास/निर्माण हेतु दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत ग्राम भांसी खसरा नं. 60, 83/1/क, 88/1 ग्राम पोरोकमेली खसरा नं. 1, 3, 7, 9, 13/1, 13/2 एवं ग्राम बड़े कमेली खसरा नं 508 कुल रकबा 13.1423 हे. में चयनित राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

तत्संबंध में अनुविभागीय अधिकारी(रा) बड़े बचेली द्वारा निम्नानुसार मौका न्याय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

क्र	भूमि का प्रस्तावित उपयोग	ग्राम	खसरा नं	रकबा हे. में	वन अधिकार प्राप्त भूमि का रकबा हे. में	अनापत्ति हेतु प्रस्तावित रिक्त भूमि हे. में
1	लाडिंग प्लाट रेलवे साईडिंग एवं पंप हाउस	3 भांसी	4 60	5 10.886	6 -	7 0.437
		पोरो कमेली	1	0.220	-	0.220
			3	0.560	0.560	-
			7	9.970	-	9.970
			9	0.690	0.690	-
			13/1	0.100	-	0.100
			13/2	0.600	0.600	-



2	वाटर पाईप लाईन	बड़े कमेली	508	0.400	-	0.400
		भांसी	88 / 1	22.257	-	0.165
			83 / 1	23.126		
		योग	/क		1.850	11.292

अतएव तहसीलदार बड़े बचेली एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा) बड़े बचेली के जाच प्रतिवेदन के आधार पर शासन के नियमों एवं शर्तों के अधीन उपरोक्त सारिणी के फालग क0-7 में दर्शित रिक्त राजस्व वन भूमि कुल रकबा 11.292 हे. को गैर वाणिज्यी उपयोग करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।



क्रमांक 11679/रीडर-1/2022
प्रतिलिपि

Haudam
कलेक्टर,

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा,
छत्तीसगढ़

दन्तेवाड़ा, दिनांक 21/07/2023

वनमंडलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वन मंडल दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ।

Haudam
कलेक्टर,

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा,
छत्तीसगढ़